

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

सरकार बनाम ललित  
: 62 / 2022  
ख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अतः सरकार के उपनि-पत्र को कांशिक रूप में लीकट दिया जाकर अग्रणी अ. लजापत्र उके कादेशित किया जाता है कि इन कादेश में उक्त प्राप्त होने से तीन माह के भीतर विवाहित स्त्रियों न. 6304/3102, 6306/3102, 3106 पर यदि कोई गैर-हृषि कार्य किया जा रहा है तो उसे पुनः हृषि कार्य में परिवर्तित कर लेवे अथवा लक्षित अधिकारी ने स्त्रियों सम्बन्धित कार्य कर गैर-हृषि उपयोग में परिवर्तित करे। अथवा विवाहित स्त्री स्त्री धारक में निहित सम्पत्ति जावेगी।</p> <p>इस कादेश में उक्त सभी उपनि-पत्रों को तदमीलदा तद. को-आवदा द्वारा जारी रलि. उक्त मदी जावे। इस काशय में तदगीर फकीदी पत्रावली के-ल शुक्राट होकर लक्षित लक्षन हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)